तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **रामलाल प्रजापत बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार पीपाड़शहर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 138 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-07-2022	अपीलार्थी रामलाल प्रजापत पुत्र लालूराम प्रजापत, निवासी ग्राम / पोस्ट सियारा, वाया पीपाड़शहर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.01.2022 में (1) खसरा नम्बर 267 कृषि भूमि ग्राम पंचायत सियारा तहसील पीपाड़शहर में जाल–साज कर जमाबंदी में हिस्सा कम दिखाने बाबत् दिनांक 11.06.2020 को पत्र भेजा उस पर की गई कार्यवाही , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार पीपाड़शहर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.01.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार पीपाड़शहर को शिकायत/ आवेदन किया, उस शिकायत/आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2020 पर क्या कार्यवाही हुई, से सबंधित कार्यवाही बाबत् सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर करीब 14 माह पश्चात् यह अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील को विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई संतोषप्रद कारण प्रस्तुत नहीं अपील मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है, प्रशासनिक स्तर पर तहसीलदार पीपाड़शहर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तूत शिकायत पत्र दिनांक 11.6.2020 पर आवश्यक कार्यवाही कर प्रार्थी को अवगत कराया जाय। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	